संलग्नक-1

तदर्थ कैम्पा में जमा की गई धनराशि के उपयोग हेतु भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को प्रेषित किये जाने वाले कैम्पा एक्शन प्लान के अनुमोदन हेतु प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में दिनांक 27–03–2010 को सम्पन्न कार्यकारिणी समिति (**Executive Committee**) की बैठक का कार्यवृत्त।

उपस्थिति :–

1. श्री के0एल0 आर्य, प्रमुख वन संरक्षक, वन्य जीव, उत्तराखण्ड। (उपाध्यक्ष)
2. श्रीमती बीना सेखरी, अपर प्रमुख वन संरक्षक, परियोजनायें, उत्तराखण्ड। (सदस्य)
3. श्री राजेन्द्र कुमार, अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड। (सदस्य सचिव)
4. श्री एस0सी0 पंत, मुख्य वन संरक्षक, कुमाऊँ, उत्तराखण्ड।(विशेष आमंत्री)
5. श्री एस0टी0एस0 लेप्चा, मुख्य वन संरक्षक, बाँस एवं रैशा परिषद, उत्तराखण्ड। (विशेष आमंत्री)
6. श्री राकेश शाह, मुख्य वन संरक्षक, प्रशासन। (विशेष आमंत्री)
7. श्री गम्भीर सिंह, मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं सम्प्रेक्षा, उत्तराखण्ड। (विशेष आमंत्री)
8. श्री गिरीश कुमार रस्तोगी, उप निदेशक, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, देहरादून। (विशेष आमंत्री)
9. श्री डी0सी0 पाण्डे, सांख्यकीय अधिकारी (अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड के प्रतिनिधि)
10. श्री राजेन्द्र सिंह विष्ट, स्वाति ग्रामोद्योग संस्थान, पिथौरागढ़। (सदस्य)
11. श्री जगत सिंह चौहान, अध्यक्ष, पर्यावरण राग जन–जन जागृति समिति (पराज), नौगांव, उत्तरकाशी। (सदस्य)

बैठक का शुभारम्भ करते हुये अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी (सदस्य सचिव) द्वारा बैठक में उपस्थित सदस्यों का स्वागत करते हुये स्टेट कैम्पा के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि भारत सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार के स्तर पर तीन समितियों का गठन किया गया है, जिनमें मा0 मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में गवर्निंग बॉडी, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में राज्य संचालन समिति तथा प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में कार्यकारिणी समिति का गठन किया गया है। उनके द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि भारत सरकार के निर्देशानुसार राज्य सरकार द्वारा वन भूमि के गैर वानिकी कार्यों हेतु प्रत्यावर्तन के मामलों में अद्यावधि तक एन0पी0वी0, क्षतिपूरक वृक्षारोपण, पथ वृक्षारोपण, कैट प्लान, वन्य जीव संरक्षण व अन्य मदों में रू0 800.00 करोड़ से अधिक की धनराशि भारत सरकार के स्तर पर गठित तदर्थ कैम्पा में जमा है, जिसके उपयोग हेतु कैम्पा एक्शन प्लान तैयार किया गया है।

2– अध्यक्ष महोदय द्वारा गैर सरकारी संस्थाओं के सदस्यों से उनकी संस्था द्वारा संचालित किये जा रहे जनसेवी कार्यों के सम्बन्ध में जानकारी चाही गई व उनके सुझाव मांगे गये। स्वाति ग्रामोद्योग संस्थान, पिथौरागढ़ के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि उनकी संस्था जल, जंगल, जमीन से जुड़े जनहित के कार्यों हेतु समर्पित है व उनके द्वारा विज्ञान, तकनीकी प्रौद्योगिकी, जल स्रोत संवर्धन, महिला विकास व जंगलों को आग से बचाने हेतु जन जागरूकता के प्रयास किये जा रहे हैं। उनके द्वारा लावारिस गायों के संरक्षण हेतु प्रत्येक जनपद मुख्यालय में गौशाला निर्माण, विद्यालयों में बच्चों में वानिकी कार्यों के प्रति जागरूकता हेतु प्रत्येक विद्यालय में नर्सरी खोले जाने व वन्य जीवों को आबादी क्षेत्र में आने से रोकने हेतु जंगलों में फलदार वृक्षों का वृक्षारोपण किये जाने का प्राविधान किये जाने के

सुझाव दिये गये। अध्यक्ष, पर्यावरण राग जन–जन जागृति समिति (पराज), नौगांव, उत्तरकाशी के प्रतिनिधि द्वारा मुख्य रूप से वनों को आग से बचाने हेतु जनता को प्रोत्साहित करने हेतु प्रोत्साहन राशि का प्राविधान किये जाने का सुझाव दिया गया।

3– अध्यक्ष महोदय द्वारा स्टेट कैम्पा एक्शन प्लान में प्राविधानित मुख्य घटकों के सम्बन्ध में निम्नानुसार जानकारी दी गई :–

i) क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थलीय विशिष्ट चिन्हित क्षेत्रों में ही किया जायेगा, जिसके लिए 10 वर्षो हेतु 9399 हे0 लक्ष्य निर्धारित किया गया है, परन्तु सम्पूर्ण लक्ष्य वर्ष, 2010 से 2014 तक प्राप्त किया जाय।

ii) महिला पौधशालाओं का स्थापना कर महिलाओं को वानिकी कार्यो में सहयोग हेतु प्रयास किये जायेंगे।

iii) स्थानीय जनता की आवश्यकताओं के अनुरूप अश्व मार्गों के सुधारीकरण को वरीयता दी गई है।

iv) जंगली जानवरों द्वारा फसलों को पहुँचाये जाने वाले नुकसान व मानव–वन्य जीव द्वन्द की रोकथाम के प्रयास किये गये हैं व मुआवजे का प्राविधान किया गया है।

v) सूखे जल स्रोतों को चिन्हित कर उन क्षेत्रों में मुख्य रूप से बांज वृक्षों, चौड़ी पत्ती के वृक्षों व घास आदि का सघन वृक्षारोपण किये जाने का प्राविधान किया गया है, जिसके लिए 525 जल स्रोतों को चिन्हित किया गया है, जिनमें से 121 स्रोत वन विभाग द्वारा कराये जाने हैं।

vi) अधिक से अधिक वन पंचायतों का सुधारीकरण किया जायेगा।

vii) अग्नि सुरक्षा हेतु ग्रामीणों से चीड़ पीरूल का रू0 1.00 प्रति किलो क्रय करने का प्राविधान किया गया है, जिसके लिए 23 उद्यमियों द्वारा रूचि दिखाई गई है, जिसमें से 16 उद्योगों, 9 ईधन, 5 गैसीफायर एवं 3 दस मेगावाट बिजली उत्पादन से सम्बन्धित प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं।

viii) इको–टूरिज्म के माध्यम से स्थानीय जन समुदाय के जीविकोपार्जन हेतु धनोल्टी की तर्ज पर प्रत्येक जनपद में कम से कम एक स्थल का विकास किये जाने का प्राविधान है।

ix) स्पर्श गंगा के तहत समस्त नदियों को स्वच्छ करने तथा प्लास्टिक हटाओ जैसे प्रदूषण नियंत्रण कार्य प्राविधानित हैं।

x) प्रत्येक जनपद में हर्बल गार्डन, नक्षत्र वन तथा भैषजीय पादपों के संरक्षण का प्राविधान किया गया है।

xi) बद्रीनाथ धाम से पूर्व देव दर्शिनी स्थल पर वन विभाग द्वारा बनाये गये 'बद्रीश वन' का नया नाम "बद्रीश एकता वन" किये जाने तथा राज्य के अन्य स्थानों में भी "बद्रीश एकता वन" बनाये जाने का प्राविधान किया गया है।

4– प्रमुख वन संरक्षक, वन्य जीव, उत्तराखण्ड द्वारा अवगत कराया गया कि अनुमोदित कैम्पा एक्शन प्लान के कियान्वयन हेतु प्रभागीय स्तर से सूचना आनी है। समस्त सूचना प्राप्त होने के उपरान्त ब्रेट गाइड लाइन के अनुसार उसका बाद में अनुमोदन प्राप्त कर लिया जायेगा।

5– प्रमुख वन संरक्षक महोदय द्वारा गैर सरकारी संस्थाओं के प्रतिनिधियों से सूचना तंत्र के माध्यम से जंगली जानवरों द्वारा मारे गये व्यक्तियों/घायल व्यक्तियों व फसलों को हुये नुकसान का मुआवजा न मिल पाने वाले मामलों तथा गोविन्द पशु विहार व अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य के अन्तर्गत अश्व मार्गों एवं वन मार्गों के सम्बन्ध में जानकारी उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गई।

6– राजपुर रोड, देहरादून में वन मुख्यालय भवन निर्माण हेतु इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को अधिकृत किया गया है एवं उक्त संस्था को अग्रिम के रूप में रूपये 25 लाख दे दिये गये हैं। कार्य आरम्भ होने से पूर्व मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश द्वारा अनुमोदन दे दिया गया है। भवन निर्माण का प्राविधान स्टेट कैम्पा प्रोजेक्ट में किया गया है एवं उत्तराखण्ड शासन द्वारा स्टेट कैम्पा के प्रयोजन हेतु गठित गवर्निंग बॉडी, स्टीरिंग कमेटी ऑफ स्टेट कैम्पा एवं एग्जूकेटिव कमेटी के समक्ष प्रस्तुत किया गया है एवं उक्त कमेटियों द्वारा इसका अनुमोदन दे दिया गया है। मुख्यालय भवन निर्माण हेतु मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन के समक्ष भी प्रस्तुतीकरण किया गया है। वन विभाग के अन्तर्गत वन कर्मियों के विशिष्ट जोखिम भरे कार्य परिवेश को देखते हुये रू0 11.25 करोड़ का कॉरपस फण्ड प्राविधानित किया गया है, जिससे उनके आश्रितों को तात्कालिक सहायता प्राप्त हो सके। इसके अतिरिक्त वनकर्मियों के स्वास्थ्य, शिक्षा एवं बीमा आदि का भी प्राविधान किया गया है।

सम्बन्धित अधिकारियों/गैर सरकारी संस्थाओं के प्रतिनिधियों से सम्पर्क हेतु दूरभाष/मोबाईल नम्बर निम्नानुसार हैं:–

1. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून। दूरभाष नं0–0135–2746934
2. प्रमुख वन संरक्षक, वन्य जीव, उत्तराखण्ड। दूरभाष नं0–0135–2644691
3. अपर प्रमुख वन संरक्षक, परियोजनायें, उत्तराखण्ड। दूरभाष नं0–0135–2762604
4. अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड। दूरभाष नं0–0135–2741607
5. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड।दूरभाष नं0–0135–2767611
6. अध्यक्ष, स्वाति ग्रामोद्योग संस्थान, पिथौरागढ़। दूरभाष नं0–05964–224098
7. अध्यक्ष, पर्यावरण राग जन–जन जागृति समिति (पराज), नौगांव, उत्तरकाशी।
   मोबाईल नं0–9412418883, 9675325557

अन्त मे धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक का समापन हुआ।

अनुमोदित

7/6/2010

(डा0 आर0बी0एस0रावत)
प्रमुख वन संरक्षक,
उत्तराखण्ड।

कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, इन्दिरानगर फोरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
संख्या : 4183/18–4–1–3 देहरादून: दिनांक 08. जून, 2010

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख वन संरक्षक, वन्य जीव, उत्तराखण्ड।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड।
3. अपर प्रमुख वन संरक्षक, परियोजनायें, उत्तराखण्ड।
4. मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल एवं कुमाऊँ।
5. मुख्य वन संरक्षक, प्रशासन।
6. मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं सम्प्रेक्षा, उत्तराखण्ड।
7. श्री राजेन्द्र सिंह विष्ट, स्वाति ग्रामोद्योग संस्थान, पिथौरागढ़।
8. श्री जगत सिंह चौहान, अध्यक्ष, पर्यावरण राग जन–जन जागृति समिति (पराज), नौगांव, उत्तरकाशी।
9. वित्त नियंत्रक, कार्यालय–प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
10. वैयक्तिक सहायक, प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड को प्रमुख वन संरक्षक महोदय के संज्ञानार्थ प्रेषित।

(एस0टी0एस0 लेप्चा)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी